


... यालु
ते संलग्नक किये
न जारी कर
प्रस्तुत किया
ने जाने से
लाना में
न्दसिंह
ीगण
51
5

फर्द अहकाम
(नियम 133)

अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... आसपुर
शंकर..... वनाम..... कलकरी बटो.र.ह. 22
रम मुकहमा..... राज्य कार.....
नंबर..... 07/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीसीयल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	---

दिनांक 22.07.2021 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी/अप्राधी को सम्मन नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 12-08.2021 को पेश हो।

 उपखण्ड अधिकारी
 आसपुर

1572 - 1593
22.7.2021

128
21

पत्रावली पेश हुई। कादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं. 22 उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया संलग्न पत्रावली किया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 21 की ओर ले श्री गोविन्दसिंह चौहान अधिवक्ता द्वारा बकालत पत्र प्रस्तुत किया संलग्न पत्रावली किया। पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपडित द्वारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ले 2 के विधय राजीनामा हो

शंकर
पत्रावली
कलकरी
बटो
धनराज
जाधु
रामपाल
जाधु
मनोहर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीसीयल जज

क्र. 0 टुपका

नोवंबर
शुक्रवार

विजयपुर
लक्ष्मी

एडु
नारायण

पारि
भादवा

शुक्र
शुक्रवार

द्वितीय

पहला काल

गोपनीय
(अधिकार के अभाव में)

जाने व काडी का
 माफिक राजीनामा
 पर जतिवारीगणों के
 भावस्ति नहीं होना दर्शाया
 काडी की पहचान करके
 गजेन्द्रसिंह व जतिवारीगण
 तः। तथ ही पहचान
 ककील गोविन्दसिंह ने की
 राजीनामा स्वीकार का वार
 नसीक जलान पगावली
 किया।

उक्त राजीनामा के अन्त
 पर कर काडी स्वीकार किया
 जाकर डिक्ली पत्र जारी हो
 विलुप्त निषेध पत्रक से
 लिखा जाकर पगावली
 के सल शुभ्राहो नम्बर
 से कम है।

S.D.O.